

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा इंडेक्स (भारत के सन्दर्भ में)

डॉ. हंसराज पाटीदार

सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र

शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगरा मालवा

प्रस्तावना:

व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किये जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। वस्तुतः ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन जैसे साहित्यिक कृति की रचना, शोध, आविष्कार आदिकरता है तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिये। चूँकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिये ही दिया जाता है, अतः इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धी अधिकारों को सुनिश्चित करने का कार्य WIPO विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन करता है। बौद्धिक संपदा के मामले में भारत की स्थिति अन्य विकासशील देशों की अपेक्षा कमतर कही जा सकती है।

शोध पत्र के उद्देश्य : प्रस्तुत शोध पत्र 'अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा इंडेक्स (भारत के सन्दर्भ में)' में कुछ निश्चित उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन किया गया है :

1. अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा इंडेक्स को जानना।
2. अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा इंडेक्स में भारत की स्थिति का अवलोकन करना।
3. अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा इंडेक्स में भारत की तुलना अन्य विकासशील देशों से करना।

शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध पत्र 'अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा इंडेक्स (भारत के सन्दर्भ में)' में प्रयुक्त द्वितीयक समंको का संग्रहण, प्रकाशित एवं इन्टरनेट के माध्यम से संग्राहित कर उनका विश्लेषण अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार किया गया है। द्वितीयक समंको का संग्रहण विश्व व्यापार संगठन, विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशित समंको का प्रयोग किया गया है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार : बौद्धिक संपदा से अभिप्राय है- नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन। बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किये जाने का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिये कि अमुक बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल उसके सृजनकर्ता का सदा-सर्वदा के लिये अधिकार हो जाएगा। यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समयावधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिये जाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार दिये जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन : WIPO का पूरा नाम World Intellectual Property Organization यानी विश्व बौद्धिक

संपदा संगठन है। WIPO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। डब्ल्यूआईपीओ एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जिसे 1967 में बौद्धिक संपदा (आईपी) संरक्षण को बढ़ावा देने और दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। डब्ल्यूआईपीओ मूल रूप से आईपी नीति, सेवाओं, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ आती हैं। अभी 191 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के 188 सदस्य देशों के अलावा कुक द्वीपसमूह, होली सी और न्यूए (Niue) शामिल हैं।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठनके कार्य:

- हर पल बदलती दुनिया में संतुलित अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नियमों को बनाने के लिये यह एक नीतिगत मंच का काम करता है।
- विभिन्न देशों की सीमाओं के पार बौद्धिक संपदा संरक्षण और विवादों को हल करने के लिये वैश्विक सेवाएँ देना भी इसके कार्यों में शामिल है।
- बौद्धिक संपदा प्रणालियों को आपस में जोड़ने और ज्ञान साझा करने के लिये तकनीकी आधारभूत संरचना बनाना भी WIPO के ज़िम्मे है।
- सभी सदस्य देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिये बौद्धिक संपदा का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिये सहयोग और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना।
- WIPO बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिये विश्वसनीय वैश्विक संदर्भ स्रोत का काम करता है।

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022: यू.एस. चैंबर ऑफ कॉमर्स के 'वैश्विक नवाचार नीति केंद्र' (Global Innovation Policy Center) द्वारा प्रतिवर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक' जारी किया जाता है। इस वर्ष भी संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक-2022 जारी किया। इस सूचकांक को निर्मित करते समय विश्व के कुल 55 देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों का सर्वेक्षण किया गया था। इन 55 देशों में से संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथमस्थान प्रदान किया गया है, जबकि वेनेजुएला को अंतिम स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में वर्ष 2022 में भारत को 43वाँ स्थान प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में पेटेंट और कॉपीराइट नीतियों से लेकर बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों के व्यवसायीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन पर बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन किया जाता है। इस सूचकांक में भारत 55 देशों में 43वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2021 में भारत 40वें स्थान पर था। इस सूचकांक में विश्व के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले पाँच देश क्रमशः अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन तथा फ्रांस हैं। यूएस चैंबर 'अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक' जिसका शीर्षक 'कम्पीट फॉर टुमोरो' (Compete for tomorrow) है, उन अर्थव्यवस्थाओं के लिये एक खाका तैयार करता है जो अधिक प्रभावी बौद्धिक संपदा सुरक्षा के माध्यम से 21वीं सदी ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखते हैं।

अपने दसवें संस्करण में सूचकांक 55 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र का मानचित्रण करता है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। सूचकांक 50 से अधिक अद्वितीय संकेतकों के साथ प्रत्येक उस अर्थव्यवस्था के लिये बौद्धिक संपदा ढाँचे का मूल्यांकन करता है जो सबसे प्रभावी बौद्धिक संपदा प्रणालियों के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संकेतक किसी अर्थव्यवस्था के समग्र आईपी पारिस्थितिकी तंत्र का एक ढाँचा तैयार करते हुए सुरक्षा की नौ श्रेणियाँ प्रदान करते हैं-


- पेटेंट (Patents)
- कॉपीराइट (Copyrights)
- ट्रेडमार्क (Trademarks)
- डिज़ाइन का अधिकार (Design Rights)
- व्यापार में गोपनीयता (Trade Secrets)
- आईपी संपत्तियों का व्यावसायीकरण (Commercialization of IP Assets)
- प्रवर्तन (Enforcement)
- सर्वांगी दक्षता (Systemic Efficiency)
- सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन (Membership and Ratification of International Treaties)

तालिका क्रमांक 1 : अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्कोर


श्रेणी	स्कोर	रैंक
पेटेंट (Patents)	33.17	45/55
कॉपीराइट (Copyrights)	38.86	32/55
ट्रेडमार्क (Trademarks)	56.25	34/55
डिज़ाइन का अधिकार (Design Rights)	55.00	36/55
व्यापार में गोपनीयता (Trade Secrets)	16.67	46/55
आईपी संपत्तियों का व्यावसायीकरण (Commercialization of IP Assets)	41.67	38/55
प्रवर्तन (Enforcement)	25.14	44/55
सर्वांगी दक्षता (Systemic Efficiency)	70.00	22/55
सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन (Membership and Ratification of International Treaties)	28.57	44/55

स्रोत : https://www.uschamber.com/assets/documents/IPIndex-FullReport_2022.pdf.pdf


चित्र क्रमांक 1: अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022




चित्र क्रमांक 2: अंतर्राष्ट्रीयपेटेंट (Patents) सूचकांक 2022




चित्र क्रमांक 3: अंतर्राष्ट्रीयकॉपीराइट (Copyrights) सूचकांक 2022




चित्र क्रमांक 4 : अंतर्राष्ट्रीयट्रेडमार्क (Trademarks) सूचकांक 2022




चित्र क्रमांक 5 : अंतर्राष्ट्रीयडिज़ाइन का अधिकार (Design Rights)सूचकांक 2022




चित्र क्रमांक 6 : अंतर्राष्ट्रीयव्यापार में गोपनीयता (Trade Secrets) सूचकांक 2022




चित्र क्रमांक 7: अंतर्राष्ट्रीयआईपी संपत्तियों का व्यावसायीकरण सूचकांक 2022




चित्र क्रमांक 8: अंतर्राष्ट्रीयप्रवर्तन (Enforcement) सूचकांक 2022



चित्र क्रमांक 9: सर्वांगी दक्षता सूचकांक 2022



चित्र क्रमांक 10: सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थनसूचकांक 2022



उपरोक्त तालिका क्र. 1के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि पेटेंट कि सन्दर्भ में भारत की रैंक अत्यंत निचले पायदान 45/55 पर है। कॉपीराइट प्राप्त करने कि दिशा में संतोषजनक स्थिति 32/55 में है। ट्रेडमार्क, डिज़ाइन का अधिकार, संपत्तियों का व्यवसायीकरण एवं सर्वांगी दक्षता कि दिशा में संतोषजनक स्थिति में है। किन्तु व्यापार में गोपनीयता, प्रवर्तन एवं सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन में भारत का स्कोर एवं श्रेणी अत्यंत निम्न है।

भारत की बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था की खामियाँ : भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपेक्षित प्रगति न हो पाने का मुख्य कारण भारत की बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था में व्याप्त खामियों हैं। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम बनाया गया था। पुनः स्वतंत्रता के बाद 1970 में पेटेंट अधिनियम बना और इसे वर्ष 1972 से लागू किया गया। इस अधिनियम में पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 और पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधन किये गए। वर्ष 2005 से भारत ने दवाओं पर भी पेटेंट देना शुरू कर दिया। भारत में पेटेंट प्रणाली का प्रशासन, 'पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क्स और भौगोलिक संकेतक महानियंत्रक' के अधीन होता है। भारतीय पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कोलकाता में है। भारत में अनुसन्धान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत ही कम है और इसका प्रमुख कारण भारत की कमजोर बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था है। वर्ष 2010 में जब भारतीय पेटेंट अधिनियम में विश्व व्यापार संगठन की आशाओं के अनुरूप संशोधन किये गए तो पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क्स और भौगोलिक संकेतक महानियंत्रक के समक्ष पेटेंट के लिये 56,000 से भी अधिक आवेदन पड़े हुए थे। ठीक इसके 10 साल बाद यानी वर्ष 2020 में पेटेंट के लिये 2,50,000 आवेदन और ट्रेडमार्क के लिये 5,00,000 आवेदन लंबित थे। इन आँकड़ों पर जैसे ही हमारी नज़र जाती है, प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि भारत की बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था रुग्ण अवस्था में है।

सुझाव : संयुक्त राष्ट्र संघ की औद्योगिक विकास संस्था ने अपने एक अध्ययन के द्वारा यह प्रमाणित किया है कि जिन देशों की बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था सुव्यवस्थित वहाँ आर्थिक विकास तेज़ी से हुआ है। अतः यहाँ सुधार की नितांत ही आवश्यकता है। भारत को चाहिये कि वह 'पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क्स और भौगोलिक संकेतक महानियंत्रक' को चुस्त एवं दुरुस्त बनाए। बड़ी संख्या में आवेदनों का लंबित होना यह दर्शाता है कि पेटेंट अधिकार प्रदान करने की हमारी व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये और एक निश्चित समय के अन्दर आवेदनों की सुनवाई अनिवार्य कर देनी चाहिये। विदित हो कि भारत सरकार ने

बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था में सुधार की कवायद शुरू की है और यह निर्धारित किया है कि पेटेंट अधिकार प्राप्ति के लिये किये जाने वाले आवेदनों पर सुनवाई की समय सीमा 1 माह होगी और यह निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है।

निष्कर्ष : भारत एक विकासशील देश और इसका उभरता हुआ बाज़ार अन्य देशों के लिये लाभप्रद है। गौरतलब है कि बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिये पेटेंट लाभप्रद है। अतः हमें चीन की तरह बड़ी संख्या में पेटेंट पंजीकृत कराने चाहिये तथा इसमें इष्टतम स्तर तक ढील देनी चाहिये ताकि अनुसंधान एवं आविष्कार केवल कुछ ही हाथों में सीमित न रहें। भारत को दवाओं की कीमतों को काबू में रखने के लिये 'स्वास्थ्य संबंधी विचारों के साथ पेटेंट कानूनों का संतुलन' बनाना ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि चाइना विश्वशक्ति बनकर उभरा है उसका एक कारण बौद्धिक संपदा सम्बन्धी पक्ष भी रहा है।

सन्दर्भ :

1. https://www.uschamber.com/assets/documents/IPIndex-FullReport_2022.pdf.pdf
2. <https://www.internationalpropertyrightsindex.org/#compare-panel>
3. <https://www.statista.com/statistics/257583/gipc-international-intellectual-property-index/>
4. <https://www.drishtiiias.com/hindi/international-organization/wipo-2>
5. <https://www.nexttias.com/current-affairs/03-03-2022/international-intellectual-property-index-2022>
6. <https://www.drishtiiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/international-intellectual-property-index-2022>
7. <https://currentaffairs.adda247.com/international-ip-index-2022/>
8. <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1863536>
9. <https://dashboard.commerce.gov.in/commercedashboard.aspx>
10. <https://www.wipo.int>